अध्याय-12

साक्ष्यों का विवेचन

आयोग ने पूरे प्रदेश में सर्व-साधारण नागरिकों, स्वैच्छिक व सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि से पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य एकत्रित किये हैं। आयोग ने पूरे प्रदेश का दौरा भी किया है और जिला मुख्यालयों, कई तहसीलों व विकास खण्ड मुख्यालयों व कई ग्रामों में जाकर पिछड़े वर्गों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को नजदीक से देखा है। बैठकें आयोजित कर उनकी समस्यायें सुनी लोग उपस्थित हुए। दौरे के समय आयोग के समक्ष भारी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी जाति व वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई।

(11) पिछड़ा वर्ग के सामाजिक संगठनों व नागरिकों व्दारा आयोग को जानकारी भेजने बावत प्रश्नावली

आयोग ने 75 प्रश्नों की एक प्रश्नावली सामाजिक संगठनों व नागरिकों के व्दारा भरकर भेजने हेतु जारी की जिसे रिपोर्ट के खण्ड दो में दर्शाया गया है। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक चार भागों में बांटा गया है:-

(अ) सामाजिक स्थिति

किसी वर्ग, समूह या जाति की सामाजिक स्थिति जानने हेतु प्रश्नावली में 27 प्रश्न निर्धारित किये गये हैं, जिसमें जाति का नाम तथा उस जाति को विभिन्न क्षेत्रों में जानने वाले उपनामों की जानकारी चाही गई है। प्रश्न 3 द्वारा इसे जाति समूह या वर्ग द्वारा अपनाया जाता रहा। परम्परागत व्यवसाय कौन सा रहा है, इसकी जानकारी चाही गई थी। इसके द्वारा ज्ञात हुआ कि एक जाति/वर्ग या समूह व्दारा अपनाया गया परम्परागत पैतृक व्यवसाय तो एक ही है, लेकिन एक ही जाति, समुदाय या वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाला नाम व उपनाम पृथक है। इनका आयोग ने पिछड़े वर्ग की जाति सूची को वर्गीकृत करने में उपयोग किया है।

1. हीन पेशे के कारण सामाजिक भेदभाव-

प्रश्नावली का चौथा प्रश्न था कि क्या उपर्युक्त परंपरागत व्यवसाय के कारण वे पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने योग्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 8 तथा 12 से भी संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 8 से कुछ परंपरागत जातिगत व्यवसायों की हीन समझे जाने वाले संबंधी जानकारी चाही गई थी एंव प्रश्न क्रमांक 12 में जातीय पेशे के गंदगी-पूर्ण होने से उनके साथ भेदभाव व

ऊंच-नीच के व्यवहार संबंधी जानकारी चाही गई थी। इन उत्तरों में 75 प्रतिशत लोगों का मत था कि उनके जातीय या परम्परागत व्यवसाय के कारण उन्हें हीन समझा जाता है तथा भेदभाव बरता जाता है। तीन प्रतिशत व्दारा कोई मत व्यक्त नहीं किया गया है। 22 प्रतिशत लोगों ने इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया है।

2. जनसंख्या

प्रश्न क्रमांक 5 में उस जाति/समूह, वर्ग की जनसंख्या का घनत्व किन-किन क्षेत्रों में अधिक है, संबंधी जानकारी चाही थी लेकिन इस बिन्दु पर प्रश्नावलियों के माध्यम से कोई तथ्यपूर्ण तथा विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

3. स्त्रियों व्दारा श्रम या मजदूरी

प्रश्न क्रमांक 6 व 7 व्दारा सामाजिक स्थिति जानने के लिए स्त्रियों व्दारा घरों में या बाहर खेतों पर जाकर शारीरिक श्रम करने की बात का भी परीक्षण किया गया है। प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर से जानकारी मिली कि अधिकांश पिछड़े वर्ग के श्रमिक वर्ग समूह की स्त्रियाँ घरों के बाहर शारीरिक श्रम करती हैं। व खेतों में काम तथा मजदूरी करती हैं। यह उनकी सामाजिक रूप से छोटी या पिछड़ी जाति की होने का द्योतक है।

प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर 86 प्रतिशत लोगों ने नकारात्मक दिया है। लेकिन 10 प्रतिशत का मत सकारात्मक है। कुछ ने इस पर कोई राय प्रकट नहीं की है।

4. सामाजिक शोषण एवं ऊंच नीच के भेदभाव का बर्ताव

प्रश्न क्रमांक 9,10,11 का तात्पर्य एक सा ही है। इनका आशय उस जाति का सामाजिक शोषण एवं ऊंच नीच के भेदभाव तथा बर्ताव से संबंधित है। इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों की समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि अधिकांश जातियां सामाजिक शोषण की शिकार है तथा उनके साथ ऊंच-नीच का भेदभाव किया जाता है एवं दूसरों के दृष्टि में उनकी जातियां निम्न सामाजिक स्तर की मानी जाती हैं।

इसी तरह प्रश्न क्रमांक 13 व 14 में उक्त भेदभाव पूर्ण व्यवस्था का उल्लेख है कि निम्न समझी जाने वाली जाति के लोगों को बराबरी से चारपाई या तख्त पर नहीं बैठने दिया जाता है, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर भी अधिकांशतः सकारात्मक आया है कि छोटी जाति समझे जाने के कारण उच्च वर्ग के लोग उन्हें बराबरी से नहीं बैठने देते हैं।

सामाजिक अन्याय की पराकाष्ठा की स्थिति प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में चाही गई है। इस प्रश्न के उत्तर में पिछड़े वर्ग की जाति समूह एंव वर्गों के करीब आधे लोगों ने स्वीकार किया है कि अपने ही दरवाजे पर वे उस समय अपनी चारपाई पर नहीं बैठे रह सकते हैं, जिस समय उच्च वर्ग का व्यक्ति दरवाजे के सामने वाले रास्ते से होकर निकले। उन्हें उसके सामने खड़ा होना ही पड़ता है और यदि ऐसा नहीं किया तो प्रताड़ना, गाली गलौज व मारपीट का शिकार होना पड़ता है।

5. खान पान में भेदभाव

हिन्दू समाज में किसके हाथ कच्चा खाना खाया जाय, किसके हाथ का पानी पिया जाय, किसके हाथ का नहीं यह सब जाति के आधार पर निश्चित होता है। प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 15, 16 तथा 17 व्दारा पिछड़े वर्ग की जनता की इस स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है इससे ज्ञात हुआ कि समाज में अपने से ऊंची जाति के हाथ का कच्चा या पक्का खाना खाया जा सकता है। अपने से छोटी जातियों में से कुछ जातियों के हाथ का पक्का खाना खाया जा सकता है, लेकिन कच्चा नहीं, कुछ जातियों से पक्का खाना खाना भी निषिद्ध है। अतः खान पान के ये संबंध बहुत सीमित हैं। पिछड़े वर्गों में भी आपस में भेदभाव के प्रमाण मिले हैं। अतः प्रश्न क्रमांक 15, 16, 17 के उत्तरों से जाति विशेष की सामाजिक स्थिति समझने में आयोग को मदद मिली है। यह बात उनके सामाजिक पिछड़ापन निर्धारित करने में सहायक सिद्ध हुई है।

6. जाति के पिछड़ेपन का अन्य स्वरूप

पिछड़े वर्ग की जातियों के पहचान की स्वयं की कुछ स्थितियां है। जिनके कारण उच्च समझा जाने वाला व्यक्ति उन्हें निम्न समझता है। ये है बाल विवाह, विधवा विवाह, छोड़-छुट्टी (तलाक) आदि तथा जाति गत पंचायतें जो ऐसे मामलों का निपटारा करती है। इस प्रकार किसी जाति समूह वर्ग की सामाजिक स्तर की पहचान हेतु प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 18 से 24 तक के प्रश्नों के उत्तर सहायक सिद्ध हुये हैं। 85 प्रतिशत प्रश्नावलियों का उत्तर है, कि उनमें बाल-विवाह, विधवा विवाह, जातीय पंचायत, छोड़-छुट्टी (तलाक) की सामाजिक प्रथा विद्यमान है। 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया है। 5 प्रतिशत ने इस बिन्दु पर कोई विचार व्यक्त नहीं किये हैं।

7. आवास की जगह या मकान

प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 25, 26, एंव 27 के उत्तर व्दारा उनके निवास की जगहें, मोहल्ले आदि की स्थिति जानना चाही है। उनके मकानातों की स्थिति कि वे पक्के हैं कच्चे हैं, या झोपड़े हैं अथवा आवासहीन है, जानने का प्रयास किया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर में अधिक जनसंख्या वाली जातियों के संबंध में बताया गया है कि उनके पृथक मुहल्ले हैं तथा गांव या नगर के

किनारों पर बसे हैं। कम संख्या वाली जातियों ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया है। निष्कर्ष निकला कि 90 प्रतिशत लोगों के कच्चे मकान है या झोपड़े हैं। रहने के स्थान खराब हैं सड़के, नालियों का अभाव है। 15 प्रतिशत आवासहीन है। पक्के मकानों के संबंध में निश्चित उत्तर नहीं दिये गये है किंतु यह निश्चित है कि उनका प्रतिशत नगण्य है।

(ब) शैक्षणिक स्थिति

1. शैक्षणिकः-

आयोग ने किसी समाज की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्रश्न 28 द्वारा जानकारी चाही, जिसमें हायर सेकेन्डरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की जानकारी का विवरण चाहा गया। अधिकांश के उत्तर में हायर सेकेन्डरी की जानकारी तो भरी है, लेकिन उच्च शिक्षा के संबंध में स्थिति शून्य पायी गई है, किन्तु इस संबंध में आयोग ने इसे आधार न मानकर शैक्षणिक पिछड़ापन पर पृथक से अधिकृत जानकारी प्राप्त कर आंकड़े तैयार किये। जिनका आगे परिशिष्टों में उल्लेख है। फिर भी प्रश्नावलियों से प्राप्त उत्तरों से शैक्षणिक स्थिति को समझने में मदद मिली है।

2. शासकीय नौकरियों में प्रतिनिधित्वः-

प्रश्न 29 द्वारा शिक्षित बेरोजगारी के संबंध में जानकारी चाही गई है। अधिकांश उत्तरों से स्थिति स्पष्ट होती है कि उनके समाज में शिक्षित बेरोजगारी भीषण है। शिक्षित लोगों को सेवाओं में अत्यन्त कम स्थान प्राप्त हुए है इनमें भी विशेषकर अध्यापक या अन्य साधारण सेवाऐं ही प्राप्त हो सकी हैं। प्रश्न 30 के उत्तर में राजपत्रित अधिकारी या अराजपत्रित अधिकारियों की संख्या प्रायः नगण्य बतायी गई है किन्तु आयोग व्दारा यह जानकारी प्रमाणिक एंव विश्वसनीय नहीं मानी गई। इस संबंध में आयोग ने शासकीय विभागों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं की नौकरियों में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व की जानकारी पृथक से एकत्र की है। तथा उनको ही प्रमाणिक मानकर निष्कर्ष निकाला है जिसका उल्लेख परिशिष्ट में किया गया है। फिर भी प्राप्त उत्तरों से इस स्थिति को एक सीमा तक समझने में सहायता मिली है।

प्रश्न 34 भी इसी संबंध में है जिसमें उच्च शिक्षा की स्थिति जैसे, स्नातक, स्नातकोत्तर, मेडीकल, इंजीनियरिंग, वेटेनरी, कृषि विज्ञान पॉलिटेकनिक आदि के संबंध में जानकारी चाही गई है। इस संबंध में यह जानकारी प्राप्त हुई कि पिछड़े वर्ग में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा शून्य है। इससे पिछड़े वर्ग में उच्च तथा तकनीकी शिक्षा के पूर्ण अभाव की तस्वीर उभरती है।

3. शिक्षा की कमी के कारणः-

प्रश्नावली के प्रश्न 31 व्दारा शिक्षा के अभाव के कारण जानना चाहे हैं। 85 प्रतिशत लोगों

ने शिक्षा की कमी का कारण धन का अभाव बताया है। कुछ ने उच्च शिक्षा की कठिनाईयों व खर्चीली शिक्षा, कुछ ने पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां न मिलने से भी पढ़ाई के प्रति अभिरुचि न होना बताया है। प्रश्न 35 में भी उच्च शिक्षा में कमी के कारण पूछे गये है। इसके उत्तर भी प्रायः उक्त कारण ही दर्शाये गये हैं। प्रश्न 36 व्दारा उच्च तथा व्यवसायिक शिक्षा की कमी के 6 प्रश्न पूछे गये है। जिनमें प्रायः सभी ने उन अभावों को गिनाया है जो प्रश्नावली में अंकित है तथा प्रश्न व्दारा भी इस बावत जानकारी चाही गयी है उसके कारण भी उपरोक्त आशय के ही है।

प्रश्न 32 का उत्तर जिसके व्दारा छात्रवृत्ति, शिष्यावृत्ति मिलती है, या नहीं इस संबंध में प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न पर शत प्रतिशत लोगों के उत्तर नकारात्मक हैं। प्रश्न 33 के उत्तर से मालूम होता है कि ग्रामीण जीवन में अभी भी पिछड़े वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव किया जाता है।

(4). स्त्री शिक्षाः- प्रश्न 37 व्दारा स्त्री शिक्षा की स्थिति चाही गयी है जो प्रायः सभी उत्तरदाताओं ने शून्य बतलाई है।

(5). शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने के उपायः-

प्रश्न 38 व्दारा शैक्षणिक स्तर में प्रगति के सुझाव की जानकारी चाही गयी है। इसी प्रकार आगे प्रश्न 39 से 44 तक सकारात्मक प्रश्नों व्दारा उनसे जानकारी चाही गई है कि क्या वे शिक्षा का स्तर उठाने में इसकी अपेक्षा करते हैं। प्रायः शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने हेतु छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, फीस माफी की सुविधा लोक सेवा आयोग संघ व राज्य की परीक्षा तथा पी.एम.टी. व पी.ई.टी. परीक्षा हेतु कोचिंग व्यवस्था चाहने के लिये इच्छा जाहिर की है, तथा व्यवसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण भी चाहते है।

प्रश्न क्रमांक 45 द्वारा जाति, समूह या वर्ग को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी चाही है। तथा प्रश्न पत्र द्वारा ऐसे छात्रावासों को शासन से किस प्रकार की सहायता की अपेक्षा की जानकारी चाही है। इन प्रश्नों का उत्तर कम संख्या में प्राप्त हुए हैं अतः निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। फिर भी शिक्षा के प्रति अन्य अभिरूचि का पता लगता है।

(स). आर्थिक स्थितिः-

(1). **परम्परागत व्यवसायः-** आर्थिक स्थिति पर प्रश्न क्रमांक 48 व 49 महत्वपूर्ण है। 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि आजादी के बाद औद्योगिकरण व मशीनीकरण से उनके जातीय धंधे में गिरावट आई है। प्रत्येक समाज ने अपनी गिरी हुई आर्थिक स्थिति के कई अन्य पृथक-पृथक कारण भी बताये है।

(2). **आर्थिक विकास का कारण:-** प्रश्न 50 के व्दारा आर्थिक विकास के उपाय के सुझाव चाहे गये थे। इसके उत्तर में उत्तरदाताओं ने अलग-अलग सुझाव दिये हैं, वे अपने जातीय या परम्परागत धन्धे के विकास के लिये शासन से अपेक्षा रखते हैं, अधिकांश ने बैंकों से आसान दरों पर ऋण उपलब्ध कराया ताकि पूँजी की कमी दूर हो सके, कच्चे माल की बात आदि बतलाई है।

प्रश्न 51 व्दारा यह जानकारी चाही गयी कि उन्होंने आर्थिक शोषण से बचने के उपाय हेतु सुझाव मांगे है इस प्रश्न पर कुछ लोगों का उत्तर है कि साहूकार उन्हें कर्ज में फंसा लेते हैं तथा अधिक ब्याज वसूलकर उनका शोषण करते हैं। प्रश्न 53 व्दारा जाति, वर्ग या समूह का आर्थिक विकास किस प्रकार संभव है। इसका पता लगाने का प्रयास किया गया तथा वे किस प्रकार की सहायता की अपेक्षा रखते हैं यह जानकारी चाही गई है, अधिकांश प्रश्न के उत्तर सकारात्मक प्राप्त हुये है, तथा उन्होंने सहायता हेतु उपाय सुझाये हैं।

(3). **कृषि भूमि की स्थिति:-** प्रश्न 54 व्दारा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या जानने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली है। फिर भी पिछड़े वर्ग ग्रामीण धंधों के विनाश तथा कृषि पर बढ़ते दबाव के कारण कृषि श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है, इस बात की जानकारी मिली है प्रश्न 57 के उत्तर में ऐसी ही जानकारी मिली है।

प्रश्न 56 व्दारा भूमि का हस्तान्तरण इस जाति के व्दारा अन्य जाति को हो रहा है, इसकी जानकारी चाही गयी है। प्रश्न 58 व्दारा इस जाति के भूमिहीन लोगों को शासन व्दारा भूमि के आंवटन में प्राथमिकता प्रदान की गई है, या नहीं, इसकी जानकारी चाही गई है। प्रश्न 56 के उत्तर में कम जानकारी मिली है। लेकिन प्रश्न 58 व्दारा अधिकांश प्रश्नों का उत्तर है कि उन्हें भूमि आंवटन में प्राथमिकता प्राप्त नहीं हुई है।

(4). **अन्य जानकारी:-** प्रश्न 59 व्दारा लघु उद्योग, मध्यम-उद्योग तथा बड़े उद्योग में लोगों की जानकारी चाही गई है। मध्यम तथा बड़े उद्योगों में लगे लोगों की जानकारी शून्य प्राप्त हुई है, लेकिन लघु ग्रामीण उद्योगों की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रश्न 60 व्दारा बन्धुआ मजदूरी के रूप में शोषण की जानकारी चाही गई है। उत्तर में साहूकारों व्दारा कर्ज में फंसे लोगों को ब्याज पर मजदूरी में लगाये रखने एवं उनके श्रम के शोषण के प्रमाण मिले है। प्रश्न 61 के सभी उत्तरों में सरकारी/अर्धसरकारी तथा निजी संस्थानों की नौकरियों में जाति के अनुसार आरक्षण करने की मांग की गई है।

प्रश्न 62 एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली प्रश्न है जिसके माध्यम से यह पूछा गया है कि पर्याप्त अवसर के अभाव में क्या पिछड़ी जातियां प्रगति नहीं कर सकती हैं। 99 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि इन पिछड़ी जातियों को उन्नति हेतु पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं। अतः वे पिछड़ी हुई हैं।

(द). राजनैतिक स्थिति:-

प्रश्न 63 से 68 प्रश्न राजनैतिक स्थिति से संबंधित हैं। प्रश्न 63 व्दारा 1952 से 1980 के बीच की अवधि में जो पिछड़ी जाति या वर्ण व्यक्ति विधायक या संसद सदस्य रहे हैं, उनके नाम, जाति तथा उनका पैतृक पेशों की जानकारी चाही गई है।

प्रश्नावलियों से जो उत्तर मिले हैं, उनसे प्रमाणिक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। आयोग ने पृथक से जिला अधिकारियों के सहयोग से भी जानकारी एकत्रित की है तथा जानकारी की सत्यता की जांच अन्य माध्यमों से भी कर ली है जिसे परिशिष्ट में दर्शाया गया है। फिर भी जाति राजनैतिक रूप से पिछड़ी है या नहीं यह बात स्पष्ट हो जाती है।

प्रश्न 64 व्दारा जनपद पंचायत नगरपालिका, भूमि बंधक बैंक, केन्द्रीय बैंक, विपणन सहकारी संस्था, मंडी कमेटी में उस जाति के अध्यक्ष है, या नहीं, इसकी जानकारी चाही गयी है। अध्यक्ष एवं सदस्य प्रश्न 65 द्वारा उस जाति वर्ग समूह में सन् 1952 से अब तक विभिन्न अवधियों में विधायक, मंत्री उप मंत्री, प्रदेश या केन्द्र में रह चुके हैं, उनके नाम व पते चाहे गये हैं। इस बिन्दु से जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह अत्यन्त न्यून है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पिछड़े वर्ग की जनता राजनैतिक रूप से बहुत पिछड़ी एवं शोषित रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें सजगता का पूर्ण अभाव रहा है।

(य). सामान्य प्रश्न:-

प्रश्न 69 से 75 तक सामान्य जानकारी हेतु प्रश्न है। प्रश्न 69 द्वारा उस जाति समूह या वर्ग ने शासन से उनकी जाति के लिये क्या प्रयास किये गये इसकी जानकारी चाही गई तथा कितने समय से उक्त जाति/वर्ग समूह के लोग यह प्रयास कर रहे थे, कि जानकारी चाही गई थी। पिछड़े वर्ग की जनता काफी समय से शासन से उसके उत्थान हेतु प्रयास कर रही थी, कुछ जाति के लोग अनुसूचित जाति में तथा कुछ जाति के लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनकी जाति अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति में भी जनजाति में शामिल है।

प्रश्न 70 व्दारा यह पूछा गया था कि क्या वे अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने में सहमत हैं। प्रायः शत प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने चाहा है कि उनकी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाये। किसी ने भी अपनी जाति को आर्थिक आधार पर आरक्षण व सुविधायें देने की बात नहीं सुझाई है। प्रश्न 71 व्दारा प्रायः वही सुझाव आये है जो पूर्व में आ चुके हैं। प्रश्न 72 व 73 व्दारा मालूम हुआ है, कुछ समाजों की सामाजिक पत्रिकायें भी प्रकाशित होती रही हैं। जो देखने में भी आई है।

आयोग ने समतामय समाज का निर्माण करने तथा भेदभाव मिटाने हेतु प्रश्न क्र. 74 व्दारा विचार माँगे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं। जो संविधान की भावना के अनुकूल हैं। अर्थात पिछड़े वर्गों का विकास कर समतामय समाज का निर्माण किया जा सकता है। किसी भी उत्तरदाता ने यह सुझाव नहीं दिया है कि पिछड़े वर्ग का उत्थान करने से देश में जातिवाद फैलेगा या भेदभाव बढ़ेगा।

ज्ञापन एवं अभ्यावेदन

आयोग का गठन 17 नवम्बर 1980 को शासन की अधिसूचना व्दारा किया गया तथा आयोग ने 17 अप्रैल 1982 को अपना अंतरिम प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया था। आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर शासन ने पिछड़े की कुछ जातियों की सूची को मान्यता देकर 2 अक्टूबर से उनको हायर सेकेण्डरी कक्षाओं तक छात्रवृत्ति की सुविधा शासन की विज्ञप्ति दिनांक 6-12-82 व्दारा प्रदान की गई। आयोग के बाद से ही पिछड़े वर्ग की जनता व सामाजिक संगठनों की ओर से भारी संख्या में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के प्रतिवेदनों का सिलसिला वर्ष 1981 व.1982 में जोरों पर रहा।

पिछड़े वर्ग की सूची के प्रकाशन के बाद से उन जाति, वर्ग व समूह के प्रतिवेदन आयोग को प्राप्त होना प्रारंभ हुए जिन जातियों के नाम या उपनाम सूची से छूट गये थे जबकि उनकी सामाजिक तथा शैक्षणिक स्थिति काफी दयनीय थी यद्यपि आयोग ने उन्हें अंतरिम रिपोर्ट में शामिल किया था, किन्तु शासन व्दारा उन्हें पिछड़े वर्ग में नहीं रखा गया था।

आयोग ने प्रथम भाग में उन प्रतिवेदनों को रखा है, जो आयोग के गठन के पश्चात से शासन के व्दारा 6-12-82 को प्रसारित सूची तक अर्थात 31 दिसम्बर 1982 तक प्राप्त हुए थे तथा दूसरे भाग में उन प्रतिवेदनों को रखा है जो 1 जनवरी 1982 से 15 दिसम्बर 83 तक आयोग को प्राप्त हुए।

(1) प्रथम भाग के अभ्यावेदनों में उन सामाजिक कठिनाईयों, शिक्षा विषयक पिछड़ापन, तथा निम्न आर्थिक दशा का वर्णन किया गया है, जिसमें रहकर वे जीवन-यापन कर रहे हैं। आयोग ने उन सभी अभ्यावेदनों का गहराई से अध्ययन व मनन किया है तथा पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक दशा, शिक्षा की दयनीय स्थिति आदि को समझा है तथा उनको पिछड़े वर्ग में शामिल करने हेतु निष्कर्ष निकाला है। आयोग को पिछड़ी जातियों के परम्परागत व्यवसाय सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व, व उनके परम्परागत व्यवसायों में गिरावट, शिक्षा में कमी व बेरोजगारी या आर्थिक विपन्नता की स्थिति को जानने का अवसर मिला। आयोग को इससे पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने में सहायता मिली है। आयोग ने पुनः उनका परीक्षण कर अंतिम प्रतिवेदन का पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करते समय उपयोग किया है। इसका विवरण संबंधित परिशिष्ट में दिया गया है।

(2). द्वितीय भाग में उन अभ्यावेदनों का उल्लेख है जो शासन की विज्ञप्ति दिनांक 6-12-82 (जिसके व्दारा पिछड़े वर्ग की सूची घोषित हुई है।) के जारी होने के पश्चात प्राप्त हुए अर्थात जिनकी जाति या उप-जाति घोषित होने से छूट गई थी। उन पिछड़ी जातियों व्दारा प्रस्तुत किये गये थे। यद्यपि आयोग ने उन्हें पिछड़ा मानकर अपने अंतरिम प्रतिवेदन में पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित किया था। इन प्रतिवेदनों से पिछड़े वर्ग की बहुत सी ऐसी जातियाँ भी प्रकाश में आ गयी हैं, जो वास्तव में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी व दीन-हीन थीं तथा जिनके अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त न होने से या जानकारी उपलब्ध न होने से अंतरिम प्रतिवेदन की पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होने से छूट गई थी। अतः इस प्रकार के अभ्यावेदनों ने भी आयोग की अंतिम प्रतिवेदन की पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची को अंतिम रूप देने में मदद की है। इस प्रकार के प्राप्त अभ्यावेदनों का संबंधित परिशिष्ट में विवरण दिया गया है।

(2). आयोग के भ्रमण के समय एकत्रित बयान

आयोग ने पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिक से अधिक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश का व्यापक दौरा किया है। दौरे के पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों में आयोग ने भ्रमण कार्यक्रम प्रकाशित कराया तथा अधिकारियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तथा व्यक्तिगत प्रयासों से आयोग के कार्यक्रम की जानकारी भेजी, फलस्वरूप आयोग जब संबंधित जिले में भ्रमण पर पहुंचा तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने काफी बड़ी संख्या में आयोग के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य दिये, तथा अपनी समस्याओं को रखा है।

आयोग ने उपस्थित जन-समूह में से एक जाति के एक प्रमुख व्यक्ति का साक्ष्य लिया है, जिससे उसकी जाति की स्थिति तथा पिछड़ेपन के कारणों को समझा जा सके। इन साक्ष्यों व्दारा आयोग को उस जाति विशेष के पिछड़ेपन निर्धारण करने में मदद मिली है।

आयोग व्दारा प्रदेश के जिला, तहसील तथा ब्लाक मुख्यालयों पर पिछड़े वर्ग की जनता से जो साक्ष्य एकत्रित किये उनका विवरण संबंधित विवरण में दिया गया है। एकत्रित साक्ष्य का विवेचन करने पर पिछड़े वर्ग को निम्न भागों में बाटा जा सकता है:-

(1) जाति का नाम तथा उसके उपनाम:-

आयोग के समक्ष उपस्थित होकर पिछड़े वर्ग की जिस जाति के व्यक्ति ने आयोग को साक्ष्य दी अपने क्षेत्र में उनकी जाति का नाम व उपजाति के नाम या शाखाओं के नाम बतायें है, उसे आयोग ने जाति की सूची को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा है।

(2) पैतृक व्यवसाय व धार्मिक स्थिति

आयोग के समक्ष साक्ष्य दाता व्दारा उस जाति का परम्परागत व्यवसाय, जिसे उसकी जाति के लोग पैतृक व्यवसाय के रूप में जानते है के बारे में बताया गया।

आयोग को साक्ष्य व्दारा उनके पैतृक धंधे में गिरावट आने या उनके पारम्परिक व्यवसाय में मशीनीकरण या औद्योगीकरण से नुकसान पहुँचा है, उसके प्रमाण मिले हैं। चाहे कृषि का मामला हो चाहे पशुपालन का हो या ग्रामीण शिल्पकार व दस्तकार हो या अन्य ऐसे लोगों का हो जो कुटीर उद्योग धंधों को चलाकर अपनी जीविका चलाते थे। भेड़, बकरी पालने वाले या मछली मारने वाले, या कपड़े के व्यवसाय में लगे लोग हों या नाई, धोबी, आदि का काम करने वाले लोग, सभी ने अपने परम्परागत व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों के संबंध में बड़ी मात्रा में उपस्थित होकर आयोग को साक्ष्य दिये हैं तथा उत्थान हेतु उन्होंने सुझाव भी दिये हैं।

साक्ष्य के माध्यम से आयोग को पिछड़े वर्ग में प्रस्तावित हर जाति के परम्परागत व्यवसाय को जानने व समझने का तथा उस व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों को समझने का मौका मिला है। व्यवसाय की प्रगति हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी मिले हैं।

(3) सामाजिक स्थिति

पिछड़े वर्ग की जनता ने आयोग को उसके सामाजिक शोषण व अन्याय के बारे में भी बयान

दिये हैं, बताया गया है कि किस प्रकार उनके साथ खान-पान तथा उठने-बैठने आदि में भेदभाव व ऊँच-नीच का बर्ताव किया जाता है। पिछड़े वर्ग की जातियों को मानवता तथा समता का व्यवहार भी नहीं मिलता है, बल्कि जाति के हिसाब से ग्रामीण जीवन में अभी भी उसी आधार से ऊँच-नीच का व्यवहार होता है जो सदियों पूर्व होता था।

कच्चा भोजन किस जाति का खाया जाय, पक्का भोजन किस जाति का? पानी भी जाति के हिसाब से किस घर का या लोटे से दिया जाय, किसका नहीं इस पर पृथक जातियों ने पृथक-पृथक जानकारी दी है। यह व्यवस्था ग्रामीण जीवन में अभी भी पूर्ण रूप से फैली हुई है।

स्त्रियों व्दारा घर से बाहर या खेती में जाकर शारीरिक श्रम, या मजदूरी बाल-विवाह, विधवा विवाह या तलाक का प्रचलन, जाति पंचायत जो ऐसे मामलों का निपटारा करती हैं, इस संबंध में भी साक्ष्य व्दारा जानकारी मिली है।

पिछड़े वर्ग के लोगों के निवास की जगहें, व मोहल्ले जिनमें वे निवास करते हैं, गाँव या नगर के किनारे, या गंदगी पूर्ण जगहों पर हैं के बारे में साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार आयोग को भ्रमण के दौरान एकत्रित साक्ष्यों में पिछड़े वर्ग के सामाजिक पिछड़ापन पर साक्ष्य मिले हैं, जिसके अनुसार पिछड़े वर्ग का सामाजिक रूप से पिछड़ा होना सिद्ध होता है।

(4). शैक्षणिक पिछड़ापन

साक्ष्य व्दारा आयोग को पिछड़ी जातियों का शैक्षणिक पिछड़ापन की स्थिति ज्ञात हुई है। प्रायः अधिकांश जातियों के प्रतिनिधियों ने साक्ष्य दिये हैं कि उनकी जाति में कुछ ही व्यक्ति हायर सेकेन्डरी तक पढ़े हैं, तथा एक दो की संख्या में बी.ए. या एम.ए. पास है। एक दो जातियों के साक्ष्यदाताओं ने बताया है कि हमारी जाति में 1-2 वकील या डाक्टर हैं। डाक्टर या कृषि स्नातक इंजीनियर नगण्य बताये गये हैं। उच्च अधिकारी भी नगण्य बताये गये हैं।

इस प्रकार साक्ष्यों से भी अत्यधिक पिछड़ेपन की स्थिति प्रकट होती है हांलाकि आयोग ने कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं पाया है। अतः आयोग ने पृथक से शैक्षणिक पिछड़ापन की अधिकृत जानकारी प्राप्त की है। जिससे स्थिति स्पष्ट हो गयी है। फिर भी साक्ष्य के माध्यम से पिछड़े वर्गों के निम्न शैक्षणिक स्तर का आभास मिलता है।

(5). सेवाओं में प्रतिनिधित्व :-

साक्ष्य में संबंधित जाति के शासकीय नौकरियों में लगे लोगों की जानकारी भी प्राप्त हुई है। साक्ष्य में अधिकांश जातियों के लोगों ने अपनी जाति के दो चार व्यक्तियों की छोटी नौकरी जैसे, मास्टर या क्लर्की में लगा हुआ बताया, कुछ ने अपनी जाति के एक दो इंजीनियर या डाक्टर भी बताये। एक दो ने इन्सपेक्टर या अफसरों के नाम भी बताये। फिलहाल आयोग ने साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पिछड़े वर्ग का शासकीय नौकरियों में प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून है। हालांकि इस विषय में प्रमाणिक जानकारी शासन के विभागाध्यक्षों व्दारा प्राप्त ही मानी गई है, फिर भी साक्ष्य व्दारा निष्कर्ष की एक सीमा तक तो पहुंचा ही जा सकता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का शासकीय नौकरियों में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में अत्यल्प है। अतः उनके लिए शासकीय नौकरियों में आरक्षण के लिए एक आधार मिलता है। काफी संख्या में लोगों ने अपनी साक्ष्य में नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की है।

(5) राजनैतिक स्थिति

आयोग को साक्ष्य व्दारा पिछड़े वर्ग की जातियों की राजनैतिक जागरुकता के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है। साक्ष्य के व्दारा उस जाति में विधायक, संसद सदस्य मंत्री, एवं भूमिबंधक बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, नगरपालिका, जनपद पंचायत, मार्केटिंग सोसायटी तथा मंडी कमेटी आदि के अध्यक्ष या सदस्य आदि की जानकारी भी मिली है। इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह जाति राजनैतिक रूप से कितनी जागृत या कितनी पिछड़ी हुई है।

आयोग को प्राप्त साक्ष्यों में शत-प्रतिशत व्यक्तियों ने जाति के आधार पर आरक्षण की मांग की है। किसी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग नहीं की है। आयोग व्दारा भ्रमण के समय पिछड़े वर्ग के अलावा अन्य वर्ग के व्यक्तियों ने भी साक्ष्य दिये हैं। उन्होंने भी पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए नौकरी व धंधों में आरक्षण एवं विशेष सुविधाऐं तथा शिक्षा में सुविधाओं की मांग की है।

सारांश में आयोग व्दारा साक्ष्यों व अभ्यावेदनों को एकत्रित करने में पिछड़े वर्ग के अलावा अन्य वर्गों का भी प्रशंसनीय सहयोग मिला है। वर्गों के प्रति सहानुभूति एवं सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार मानता है तथा धन्यवाद देता है।